विभाग द्वारा संचालित योजनायें

किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीहोर

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें :-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से सीहोर जिले में कृषि के विकास एवं कृषकों को लाभ दिलाये जाने हेतु विभिन्न प्रकार की 20 योजनायें मैदानी स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है , जिनमें से 10 केन्द्रीय योजनायें एवं 10 राज्य योजनायें है, जो इस प्रकार है :-

अ- केन्द्रीय योजनायें :-

01- राष्ट्रीय तिलहन मिशन।

02- बीज ग्राम योजना।

03- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।

04- कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)।

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

(अ)-हलधर

(ब)-नलकूप खनन (सामान्य)

06- राष्ट्रीय बायोगैस योजना।

07- सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एन.ए.एम.)

08- नेशनल मिशन फार सस्टेनेंवल एग्रीकल्चर।(एन.एम.एस.ए.)

09- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।

10- कस्टम हायरिंग योजना।

ब- राज्य योजनायें :-

01- अन्नपूर्णा योजना।

02- सूरजधारा योजना।

03- बलराम ताल योजना।

04- अ0जा0/अ0ज0जा0 कृषकों हेतु नलकूप खनन योजना।

05- मिटट्ी परीक्षण कार्यक्रम।

06- खेती में महिलाओं की भागीदारी (मा0प0वा0) योजना।

07- मुखयमंत्री खेती तीर्थ योजना।

08- मुखयमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा योजना।

09- राज्य माइक्रोइरीगेद्गान मिद्गान।

10- सूचना प्रोद्योगिकी माध्यम से कृषि विस्तार सेवायें।

(अ) -केन्द्रीय योजनाऐं

1- राष्ट्रीय तिलहन मिशन :-

उपरोक्त योजनाओं का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक	इकाई	प्रावधान
1	प्रजनक बीज क्रय	क्विटल	स्थाई लागत 8000/- प्रति क्विटल
2	आधार बीज उत्पादन	क्विटल	10 वर्ष के अन्दर की किस्म पर 1000/- प्रति क्विटल
3	प्रमाणित बीज उत्पादन	क्विटल	10 वर्ष के अन्दर की किस्म पर 1000/- प्रति क्विटल
4	प्रमाणित बीज वितरण	क्विटल	500/- प्रति क्विटल
5	वृहद प्रदर्शन	हेक्टर	लागत का 50 प्रतिशत या 4500/- जो भी कम हो
6	आई.पी.एम. प्रदर्शन	संखया	सोयाबीन फसल पर 26700/- प्रति प्रदर्शन थ्य्थ्ण्ैण्पेटर्न पर
7	कृषक प्रशिक्षण	संखया	30 कृषको का 2 दिवसीय प्रशिक्षण पर 24000/-प्रशिक्षण
8	जिप्सम/पाईराइट/लाइनिंग /डोलामाईड/एस.एस.पी	हेक्टर	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 750/- जो भी कम हो।
9	राइजोबीयम/पी.एस.बी/जेड.एस.बी.ध् ऐजेक्टोबेक्टर/ माईक्रोराइजा	हेक्टर	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300/- जो भी कम हो।
10	पौध संरक्षण औषधि, निंदानियंत्रण/सुक्ष्म पोषक तत्व/ बायोएजेंट/जैविक पौ.सं.औ.	हेक्टर	500/- प्रति हेक्टेयर
11	एन.पी.व्ही.	हेक्टर	500/- प्रति हेक्टर
12	पौध संरक्षण यंत्र हस्तचलित	संखया	लागत का 50 प्रतिशत या 600/- सामान्य कृषको के लिए एवं अ.जा./अ.ज.जा. /लघु/सीमान्त महिला लिये 800/- प्रति यंत्र
13	पौध संरक्षण यंत्र पावरचलित	संखया	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/- 16 लीटर के यंत्र पर तथा अ.जा., अ.ज.जा. लघु, सीमान्त एवं महिला क लिये 3800/- यंत्र
1	उन्नत कृषि यंत्र हस्त/बैलचलित	संखया	लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8000/- सामान्य एवं अ.जा.,

4			अ.ज.जा. लघु, सीमान्त एवं महिला क लिये 10000/- यंत्र
15	उन्नत कृषि यंत्र पावर	संखया	लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50000/- सामान्य एवं अ.जा., अ.ज.जा. लघु, सीमान्त एवं महिला क लिये 63000/- प्रति इकाई
16	भण्डार कोठी 20 क्विटल	संखया	लागत का 25 प्रतिशत या 2000/- जो भी कम हो
17	भण्डार कोठी 10 क्विटल	संखया	लागत का 25 प्रतिशत या 1000/- जो भी कम हो
18	बीज उपचार ड्रम 20 किलो	संखया	लागत का 50 प्रतिशत या 1750/- जो भी कम हो
19	बीज उपचार ड्रम 40 किलो	संखया	लागत का 50 प्रतिशत या 2000/- जो भी कम हो
20	स्प्रिकलर सेट लघु/सीमान्त कृषक	संखया	लागत का 35: या 6860/- प्रति सेट लघु सीमान्त कृषको के लिये
21	स्प्रिकलर सेट अन्य कृषक	संखया	लागत का 25: या 4900/- प्रति सेट अन्य कृषको के लिये
22	पाइप लाइन	संखया	लागत का 50: या 25 रू. प्रति मीटर अधिकतम 600 मीटर तक 15000/-
23	अकस्मिक व्यय		-

2- बीज ग्राम योजना :-

इस योजना का मुखय उद्देश्य कृषक स्तर पर उन्नत किस्म के बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता लाकर इसके उपयोग को बढावा देना है। इसमें सभी वर्ग के दलहन/तिलहन उत्पादक कृषको को एक एकड़ क्षेत्र का बीज 60 प्रतिद्गात् अनुदान पर तथा खाद्यान फसल उत्पादक कृषको को एक एकड़ क्षेत्र का बीज 50 प्रतिद्गात् अनुदान पर दिया जाता हैं।

संबंधित फसल का 2 अवस्थाओं पर कृषको को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रथम प्रशिक्षण बुआई के समय , द्वितीय फसल कटाई के समय।

3- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित यह एक बहु आयामी योजना है, जिसका मुखय उद्देश्य तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वुद्धि करना है।

सीहोर जिले में यह योजना दलहनी फसलो हेतु लागू की गई है। योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक	इकाई	अनुदान सीमा रूपये
1	उन्नत किस्म के बीज वितरण	क्विटल	15 वर्ष के अन्दर की किस्म पर 2200/- प्रति क्विटल एंव 15 वर्ष के बाहर की किस्म पर 2000/- प्रति क्विटल अनुदान दिया जाता हैं।
2	सुक्ष्म पोषक तत्व	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 500/- जो भी कम हो।
3	जिप्सम 80:ॅच् सल्फर	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 750/- जो भी कम हो।
4	बायो फर्टीलाइजर	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 100/- जो भी कम हो।
5	पौध संरक्षण औषधि	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 500/- जो भी कम हो।
6	नींदा नाशक औषधि	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 500/- जो भी कम हो।
7	हेण्ड स्प्रेयर पम्प	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 600/- जो भी कम हो।
8	पावर स्प्रेयर पम्प	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 3000/- जो भी कम हो।
9	जीरोटिल सीडड्रिल	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
10	मल्टीक्राप प्लान्टर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
11	सीडड्रिल	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
12	जीरोटिल मल्टीक्राप प्लान्टर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
13	रिज-फरो प्लान्टर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
14	चिसलर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 8000/- जो भी कम हो।
1	रोटावेटर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 35000/- जो भी कम हो।

5			
16	लेजर लेंड लेवलर	संखया	150000/- प्रति मशीन 10 किसानों के समुह के लिये
17	मल्टीक्राप थ्रेसर	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 40000/- जो भी कम हो।
18	स्प्रिंकलर सेट	हेक्टेयर	लागत का 50: या अधिकतम 10000/- जो भी कम हो।
19	पम्प सेट	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 10000/- जो भी कम हो।
20	मोबाइल रेनगन	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 15000/- जो भी कम हो।
21	पाईप लाईन	संखया	लागत का 50: या 25 रू. प्रति मीटर अधिकतम 600 मीटर तक 15000/

4- कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) :-

इस योजनान्तर्गत कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	गतिविधि	विवरण
1.	प्रद्गिाक्षण :-	
अ	जिले के अंदर	1. प्रद्गिाक्षण 400/- प्रति कृषक (रात्रि विश्राम सहित)। 2. प्रद्गिाक्षण 250/- प्रति कृषक।
ब	राज्य के अंदर अथवा जिले के बाहर	प्रद्गिाक्षण 1000/- प्रति दिन प्रति कृषक।
स	राज्य के बाहर	प्रद्गिाक्षण 1250/- प्रति दिन प्रति कृषक।
2.	भ्रमण :-	
अ	जिले के अंदर	प्रद्गिाक्षण 300/- प्रति दिन प्रति कृषक।

ब	राज्य के अंदर अथवा जिले के बाहर	प्रद्गिाक्षण 400/- प्रति दिन प्रति कृषक।
स	राज्य के बाहर	प्रद्गिाक्षण 800/- प्रति दिन प्रति कृषक।
3.	सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (वि.ख. स्तरीय):-	10,000/- पुरस्कार स्वरूप विकासखण्ड के एक कृषक को दिया जाता हैं।
4.	सर्वोत्तम कृषक समुह पुरस्कार (वि.ख. स्तरीय):-	20,000/- पुरस्कार स्वरूप विकासखण्ड के एक कृषक समुह को दिया जाता हैं।
5.	सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (जिला स्तरीय):-	25,000/- पुरस्कार स्वरूप जिला स्तर पर एक कृषक को दिया जाता हैं।
6.	कृषक मित्र	6000/- प्रति कृषक मित्र।

आप फसल/सेवा से संबंधित तकनीकी/अन्य मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ब्लॉक टेक्नॉलोजी अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि महाविधालय संस्थाओं से प्राप्त कर सकते है। आपको इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कठिनाई होने पर अथवा कोई सुझाव देना चाहे तो आप जिला/विकास खण्ड के निम्न अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

5- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

इस योजना का मुखय उद्देश्य भूमि की उर्वरता बढाना , किसानों को समुचित मात्रा में इन्नत बीज उपलब्ध कराना , सिंचाई संसाधनों का विकास कर जल स्तर में वुद्धि तथा सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है। सीहोर जिले में इस योजनान्तर्गत निम्न गतिविधियॉ विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

क्र.	गतिविधि	इकाई	विवरण
1	स्प्रिंकलर सेट	हेक्टेयर	अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के एवं लघु/सीमान्त कृषको को लागत का 35: या अधिकतम 6860/- जो भी कम हो।
		हेक्टेयर	सामान्य वर्ग क बड़े कृषकों को लागत का 25: या अधिकतम 4900/-

			जो भी कम हो।
2	पम्प सेट	संखया	लागत का 50: या अधिकतम 10000/- जो भी कम हो।
3	पाईप लाईन	संखया	लागत का 50: या 25 रू. प्रति मीटर अधिकतम 600 मीटर तक 15000/

(अ) हलधर योजनाः -

हलधर योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में नवीन दिशानिर्देशानुसार अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर तक तथा सामान्य वर्ग के लघु/सीमान्त कृषको को अधिकतम 2 हेक्टेयर रकबे में गहरी जुताई कराने पर 2000/- हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदाय किया जाता है।

(ब) नलकूप खनन योजना (सामान्य वर्ग हेतु):-

इस योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लघु/सीमान्त/बड़े कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर खनन की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये रू. 25,000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा। इसके पश्चात सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये रू. 15,000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

6- राष्ट्रीय बायोगैस योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को 10 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

क्र.	हितग्राही	स्वीकृत अनुदान
1	सामान्य/लघु/सीमान्त कृषक	4 घन मीटर तक के बायोगैस निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 9000/- रूपये अनुदान देय।
2	अ.जा./अ.ज.जा. कृषक	4 घन मीटर तक के बायोगैस निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 11000/- रूपये अनुदान देय।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1-5 घनमीटर क्षमता तक के संयंत्र के निर्माण पर सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रू. 2500/- टॉपअप अनुदान के रूप में राज्य शासन की ओर से देय है।

7- सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.) :-

इस योजनान्तर्गत कृषको को उन्नत कृषि यंत्रों के वितरण पर निम्नानुसार अनुदान की व्यवस्था है।

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संखया	अनुदान प्रावधान (रु.)
1	ट्रेक्टर			
ंअ	8 से 15 एच.पी. तक	संख या	1	कीमत का 35 प्रतिशत् अधिकतम 1.00 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 25 प्रतिशत् अधिकतम 0.75 लाख)
ब	15 से 20 एच.पी. तक	संख या	1	
स	20 से 40 एच.पी. तक	संख या	1	कीमत का 35 प्रतिशत् अधिकतम 1.25 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 25 प्रतिशत् अधिकतम 1.00 लाख)
द	40 से 70 एच.पी. तक	संख या	1	
2	पावर टिलर			

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संख्या	अनुदान प्रावधान (रु.)
ंअ	8 एच.पी. तक	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.75 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.40 लाख) इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के कृषकों को 0.30 लाख टॉप-अप अनुदान दिया जाता है।
ब	8 एच.पी. से अधिक	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.75 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.60 लाख) इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के कृषकों को 0.30 लाख टॉप-अप अनुदान दिया जाता है।
ंउ	रीपर कम बाईन्डर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 1.25 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 1.00 लाख) इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के कृषकों को 0.50 लाख टॉप-अप अनुदान दिया जाता है।
4	एम. बी. प्लाऊ	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.15 लाख से 0.44 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.12 लाख से 0.35 लाख तक)
5	डिस्क प्लाऊ	संख या	1	
6	कल्टीवेटर	संख या	1	
7	हैरो	संख या	1	
8	लेबलर ब्लेड	संख या	1	
9	केज़ व्हील	संख या	1	

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संख्या	अनुदान प्रावधान (रु.)
10	फरो ओपनर	संख या	1	
11	रिज़र	संख या	1	
12	विड स्लेसर	संख या	1	
13	लेज़र लैण्ड लेबलर	संख या	1	
14	रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ	संख या	1	
15	रोटावेटर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 लाख तक)
16	रोटो पडलर	संख या	1	
17	रिवर्सिबल हाईड्रोलिक प्लाऊ	संख या	1	
18	ट्रेन्च मार्कर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 लाख (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 लाख)
19	बण्ड फार्मर	संख या	1	
20	जीरो टीलेज़ सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.15 लाख से 0.44 तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.12 लाख से 0.35 तक)
21	रेज्ड़ बेड प्लान्टर	संख या	1	

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संख्या	अनुदान प्रावधान (रु.)
22	सीड ड्रिल	संख या	1	
23	ट्रेक्टर चलित रीपर	संख या	1	
24	मल्टी क्राप प्लान्टर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 तक)
25	रिज़ फरो प्लान्टर	संख या	1	
26	स्ट्रा रिपर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 तक) इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के कृषकों को 0.50 लाख टॉप-अप अनुदान दिया जाता है।
27	मल्टी क्राप थ्रेसर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 तक)
28	थ्रेसर	संख या	1	
29	पेडी थ्रेसर	संख या	1	
30	चैफ कटर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.02 लाख से 0.063 तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.016 लाख से 0.05 तक)
31	विडर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.006 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.005 लाख तक)
32	कोनो विडर	संख	1	

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संख्या	अनुदान प्रावधान (रु.)
		या		
33	गार्डन हैण्ड टूल्स	संख या	1	
34	स्प्रेयर			
अ	मैन्यूअल स्प्रेयर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.006 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.005 लाख तक)
ब	पावर नेफ्सेक स्प्रेयर (8 से 12 लीटर)	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.031 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.025 लाख तक)
स	पावर नेफ्सेक स्प्रेयर (12 से 16 लीटर)	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.038 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.03 लाख तक)
द	पावर नेफ्सेक स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक)	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.010 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.08 लाख तक)
इ	ट्रेक्टर चलित स्प्रेयर (20 एच.पी. तक)	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.10 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.08 लाख तक)
क	ट्रेक्टर चलित स्प्रेयर (35 एच.पी. तक)	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.13 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.10 लाख तक)
35	ईको फ्रेन्डली ट्रेप	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.014 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत्

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा संख्या	अनुदान प्रावधान (रु.)
				अधिकतम 0.012 लाख तक)
36	इलेक्ट्रिक स्प्रेयर	संख या	1	कीमत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 0.63 लाख तक (अ.जा./अ.ज.जा./लघु सीमान्त कृषकों हेतु, अन्य कृषकों के लिये कीमत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 0.50 लाख तक)

08- नेशनल मिशन फार सस्टेनेंवल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.)

उपरोक्त योजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक	विवरण	संख या	अनुदान प्रावधान (रु.)	कुल देय अनुदान
(अ)	कृषि वानिकी फसल पद्धति				
1	कृषि वानिकी फसल पद्धति	पौध रोपण+धान्य/ तिलहन/रेशेदार/दलहन आधारित फसल पद्धति	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रु. प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
2	उद्यानिकी आधारित फसल पद्धति	आम+कम अवधि वाली दलहनी फसलें अमरूद+मक्का+सब्जी फसलें	1	लागत का 50 प्रतिशत अधितम 25000 रु. प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
3	मत्स्य आधारित फसल पद्धति	धान-मत्स्य पालन पद्धति	1	लागत का 50 प्रतिशत अधितम 25000 रु. प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही रु.
4	पशुपालन आधारित फसल पद्धति	संकर गाय+मिश्रित खेती+पशुचारा	1	लागत का 50 प्रतिशत अधितम 40000 रु. प्रति	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही

				हेक्टर	
5	वन-चारागाह पद्धति (लकड़ी रहित वन्य उत्पाद)	सनहेम्प-रामतिल/ल्यूसर्न	1	लागत का 50 प्रतिशत अधितम 15000 रु. प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही

(ब)	मूल्य संवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण				
क्र.	घटक	विवरण	संख या	अनुदान प्रावधान (रु.)	कुल देय अनुदान
6	लो-टनल पॉली हाउस	अधिक मूल्य की फसलें, सब्जी, फूल, पौध रोपण सामग्री	1	लागत का 50 प्रतिशत अधितम 75000 रु. प्रति हितग्राही, 15 प्रति वर्ग मीटर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
7	मधुमक्खीपालन	50 कॉलोनी प्रति हितग्राही	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 हजार रु. प्रति कॉलोनी	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
8	पुराने तालाबों का जीणोद्धार	निजी एवं सामुदायिक जल स्त्रोंतों का जीणोद्धार	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 प्रति इकाई	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
	समुदायिक जल स्त्रोत	द्यद्गाासकीय भूमि पर सामुदायिक जल संरचना	1	20 लाख की लागत तक	द्यद्गातप्रति द्गात अनुदान
9	उपज संसाधन एवं भण्डारण	ग्रामीण स्तरीय लघु भंडारगृह एवं पैकेजिंग, उपज संसाधन,	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 प्रति वर्ग मीटर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
10	नलकूप	नलकूप निर्माण, (उथले एवं मध्यम)	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25000 प्रति इकाई	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही

11	जल वितरण प्रणाली	भूमि समतलीकरण, निकास नाली	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 12000 प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
12	नमी संरक्षण	भूमि समतलीकरण मेढ़बंधान, मल्चिंग, रिज एण्ड फरो,	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
13	वानस्पतिक अवरोध	मृदा कटाव एवं जल संरक्षण	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 प्रति हेक्टर	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
14	गली कन्ट्रोल (अपर रिच)	भूमि एवं जल संरक्षण लूज बोल्डर चेक गेवीयन बेजीटेटीव सपोर्ट	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 प्रति संरचना सामुदायिक भूमि 100 प्रतिशत अनुदान	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
15	गली कन्ट्रोल (मीडिल रिच)	भूमि एवं जल संरक्षण लूज बोल्डर चेक गेवीयन, चेक डेम बेजीटेटीव सपोर्ट	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 12000 प्रति संरचना सामुदायिक भूमि 100 प्रतिशत अनुदान	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
16	स्पिलवे ड्रॉप	रिटर्निंग वॉल	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 प्रति संरचना सामुदायिक भूमि 100 प्रतिशत अनुदान	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
17	वर्मीकम्पोस्ट (एच.डी.एफ.ई.)	जैविक उत्पाद	1	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000 प्रति इकाई	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
18	कृषक प्रशिक्षण	कृषक प्रशिक्षण प्रदर्शन सहित	1	20000 प्रति प्रशिक्षण प्रति सीजन (20 कृषक)	अधिकतम 2 हेक्टर तक प्रति हितगग्राही
19	अध्ययन भ्रमण	कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण	1	20000 प्रति भ्रमण (20 कृषक)	20000 प्रति भ्रमण (20 कृषक)

09- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :-

इस योजनान्तर्गत राज्य में निम्नानुसार फसलें अधिसूचित की गई है। :-

खरीफ :- धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला।

रबी :- गेहूं (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज एवं आलू।

बीमा हेतु पात्र कृषक :- सभी अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये योजना में शामिल होना अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है।

दावा राशि का भुगतान :- बीमा हेतु क्लेम के लिये पात्र कृषकों को बीमा कम्पनी द्वारा दावा राशि का भुगतान बैंकों के माध्यम से निम्नानुसार किया जाता हैः-

बीमा कम्पनी द्वारा - प्रिमीयम की राशि का अंश।

राज्य शासन - शेष राशि में से 50 प्रतिशत राशि का अंश।

केन्द्र शासन - शेष राशि में से 50 प्रतिशत राशि का अंश।

10- कस्टम हायरिंग योजना -

जिलें में स्थापित 13 कस्टम हायरिंग केन्द्रो द्वारा कृषकों को किराये पर यंत्र (ट्रेक्टर , प्लाऊ, रोटावेटर, सीडड्रिल, आदि) उपलब्ध करायें जाते है।

(ब) -राज्य योजनाऐं :-

1- अन्नपूर्णा योजना :-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लघु/सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली फसलों बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना इस योजना का मुखय उद्देश्य है।

इस योजना तीन घटक होते है :-

1- बीज अदला-बदली :- कृषकों को एक हेक्टर क्षेत्र के बीज के बदले उन्नत किस्म का बीज दिया जाता है। यदि कृषक द्वारा चाही गई किस्म का बीज उपलब्ध नहीं है , तो उसके स्थान पर बीज क्रय हेतु बीज लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500/- का अनुदान दिया जाता है।

2- बीज स्वावलम्बन :- कृषकों को धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये उन्नत बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3- बीज उत्पादन :- शासकीय कृषि प्रक्षेत्र की 10 कि0मी0 की परिधि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लघु/सीमान्त कृषकों के खेतों पर उत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर उन्हे 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 1 हेक्टर क्षेत्र के लिये उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाता है।

2- सूरजधारा योजना :-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लघु/सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली फसलों बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना इस योजना का मुखय उद्देश्य है।

इस योजना तीन घटक होते है :-

1- बीज अदला-बदली :- कृषकों को एक हेक्टर क्षेत्र के बीज के बदले उन्नत किस्म का बीज दिया जाता है। यदि कृषक द्वारा चाही गई किस्म का बीज उपलब्ध नहीं है , तो उसके स्थान पर बीज क्रय हेतु बीज लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500/- का अनुदान दिया जाता है।

2- बीज स्वावलम्बन :- कृषकों को धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये उन्नत बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3- बीज उत्पादन :- शासकीय कृषि प्रक्षेत्र की 10 कि0मी0 की परिधि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लघु/सीमान्त कृषकों के खेतों पर उत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर उन्हे 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 1 हेक्टर क्षेत्र के लिये उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाता है।

3- बलराम ताल योजना :-

इस योजना में समस्त वर्ग के कृषकों को शामिल किया जाकर मात्र एक ताल निर्माण के लिये अनुदान दिया जाता है :-

क्र.	योजना/घटक	इकाई	संखया	आकार (लं.ग्चौ.ग्ग.)	अनुदान प्रावधान (रु.)
1	बलराम तालाब	संखया	1	79ग30ग2ण्5 मीटर	अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख। लघु/सीमान्त कृषक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रु., अन्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रु. अनुदान देय।
				68ग30ग3 मीटर	
				63ग30ग2ण्5 मीटर	
				55ग30ग3 मीटर	

आप बलराम तालाब से संबंधित तकनीकी/अन्य मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ सर्वेयर/विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। आपको इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कठिनाई होने पर अथवा कोई सुझाव देना चाहे तो आप जिला/विकास खण्ड के निम्न अधिकारियों के दूरभाष/ई-मेल से सम्पर्क कर सकते है।

4- अ0जा0/अ0ज0जा0 कृषकों हेतु नलकूप खनन योजना :-

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर खनन की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये रू. 25,000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा। इसके पश्चात सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये रू. 15,000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

5- मिटटी परीक्षण कार्यक्रम :-

मिट्टी में उपलब्ध प्रमुख एवं सुक्ष्म तत्वों की मृदा में उपस्थित मात्रा की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की जाकर उपयुक्त अनुशंसायें मृदा स्वास्थ्य पत्रक के माध्यम से कृषकों को प्रेषित की जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत मुखय तत्वों के विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये रूपये 5/-प्रति नमूना तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 वर्ग के कृषकों के लिये रूपये 3/-प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार सुक्ष्म तत्वों के विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये रूपये 40/- प्रति नमूना तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषकों के लिये रूपये 30/- प्रति नमूना की दर निर्धारित की गई है।

सीहोर जिले में विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है , जहां पर मुखय तत्व नत्रजन , स्फूर, पोटास तथा सूक्ष्म तत्व में जिंक, कांपर, आयरन, मैग्नीज का परीक्षण किया जाता है, साथ ही मृदा का पी.एच. मान एवं विद्युत चालकता जांच करने की सुविधा है।

कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है , जिसमें कृषक द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमनों के विश्लेषण की जानकारी रहती है।

6- खेती में महिलाओं की भागीदारी (मा0प0वा0) योजना :-

महिला कृषकों के जीवनयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य से यह योजना महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये चलाई जा रही है।

इस योजना के घटक निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक का नाम	विवरण
1	बैंच मार्क सर्वे	एक ग्रा0कृ0वि0अ0 क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से 25 कृषक महिलाओं का चयन।
2	तकनीकी प्रशिक्षण	30 महिला कृषक, 3 दिवसीय, रू. 6000/- प्रति प्रशि.
3	अनुसरण भ्रमण	30 महिला कृषक, 3 दिवसीय, रू. 12000/- प्रति भ्रमण।
4	समूह गठन (एक दिवसीय स्टाफ प्रशिक्षण	रू. 6000/- प्रति स्टाफ प्रशिक्षण।

5	समूह गठन प्रशिक्षण (महिला कृषको हेतु)	रू. 600/- प्रति समूह गठन प्रशिक्षण ।
6	अन्तर जिला प्रशिक्षण भ्रमण	रू. 27000/- प्रति प्रशि. भ्रमण।
7	विशेष प्रशिक्षण	30 महिला कृषक, 1 दिवसीय, रू. 6000/- प्रति प्रशि.
8	मानव संसाधन विकास	जिला स्तरीय प्रशिक्षण, रू. 20,000/- प्रति प्रशि.

07- मुखयमंत्री खेती तीर्थ योजना।

कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि कर कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव लेकर राज्य के प्रगतिशील कृषकों की उन्नत तकनीको को अधिक से अधिक कृषको तक पहुंचाना साथ ही उन्नत तकनीक एवं नवीन कृषि शोध की जानकारी पिछड़े कृषको तक पहुंचाना है।

इस योजनान्तर्गत कृषको को राज्य के बाहर , राज्य के अन्दर एवं जिले के अन्दर भ्रमण कराया जाना है। जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. एवं 30 प्रतिशत महिला कृषको का चयन किया जाना है ।

भ्रमण पर निर्धारित व्यय सीमा :-

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा/संखया	अनुदान प्रावधान (रु.)	कुल देय अनुदान
1	मुखयमंत्री खेती तीर्थ योजना	संखया	1	राज्य के बाहर भ्रमण (5 दिवस)	600 रु. प्रतिदिन
			1	राज्य के अंदर भ्रमण (5 दिवस)	300 रु. प्रतिदिन
			1	जिले के अंदर भ्रमण (1 दिवस)	250 रु. प्रतिदिन

08- मुखयमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा योजना।

मुखयमंत्री किसान विदेश भ्रमण यात्रा योजना अन्तर्गत यात्रा लागत एवं अनुदान की पात्रता निम्नानुसार रहेगी। योजना का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा/संखया	यात्रा अवधि	यात्रा/व्यय विवरण	कुल देय अनुदान
1	मुखयमंत्री विदेश भ्रमण योजना	संख या	एक व्यक्ति	10 दिवस	समूह-1 (कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण) चीन, ताईवान, फिलिपीन्स	लघु एवं सीमान्त कृषकों को यात्रा लागत का 90 प्रतिशत। सामान्य वर्ग के अन्य कृषकों को यात्रा लागत का 50 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर भ्रमण की पात्रता। (यात्रा लागत परिवर्तनशील रहेगी।)
					समूह-2 (कृषि-डेयरी) ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड	
					समूह-3 (कृषि-सोयाबीन) अमेरिका (यू.एस.ए.), ब्राजील	
					समूह-4 (उद्यानिकी-डेयरी) जर्मनी, हॉलैण्ड, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैण्ड	
					समूह-5(उद्यानिकी/ड्रिप) इजराईल, जर्मनी, हॉलैण्ड, फ्रांस, स्पेन	

आप मुखयमंत्री किसान विदेश यात्रा योजना से संबंधित मार्गदर्शन हेतु स्थानीय स्तर पर अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप जिला/विकास खण्ड के निम्न अधिकारियों के दूरभाष/ई-मेल से सम्पर्क कर सकते है।

09- जैविक खेती प्रोत्साहन योजना :-

क्र.	योजना/घटक	इकाई	मात्रा/संखया	अनुदान प्रावधान (रु.)	कुल देय अनुदान
1	ऑर्गेनिक फार्म फील्ड	संखया	1	17000 रु. मात्र प्रति एफ.एस.एस.	-
2	वर्मी कम्पोस्ट पिट	संखया	1	पिट पर 50 प्रतिशत अधिकतम	3000 रु.

				रूपये 3000/- जो भी कम हो अनुदान देय	
3	कृषक प्रशिक्षण (30 व्यक्ति हेतु)	संखया	30	प्रति प्रशिक्षण 10,000 रु.	-
4	राज्य के बाहर भ्रमण (30 व्यक्ति हेतु)	संखया	30	प्रति प्रशिक्षण 1,80,000 रु.	-
5	राज्य के अन्दर भ्रमण (30 व्यक्ति हेतु)	संखया	30	प्रति प्रशिक्षण 90,000 रु.	-
6	जैव कीटनाशक	लीटर	1	अधिकतम रु. 500	500 रु.
7	जैव उर्वरक/हार्मोन्स	पैकेट	1	अधिकतम रु. 500	500 रु.

आप फसल/सेवा से संबंधित तकनीकी/अन्य मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि महाविधालय संस्थाओं से प्राप्त कर सकते है। आपको इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कठिनाई होने पर अथवा कोई सुझाव देना चाहे तो आप जिला/विकास खण्ड के निम्न अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

10- सूचना प्रोद्योगिकी माध्यम से कृषि विस्तार सेवायें :-

प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के सुदृढीकरण के अन्तर्गत कृषि सूचना तंत्र प्रणाली, कृषिनेट परियोजना प्रदेश में प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को इंटरनेट पर www.mpkrishi.org की वेबसाइट पर निम्नानुसार सेवायें प्रदान की जाती है। :-

01- विभिन्न फसलों की नवीनतम एवं उन्नत कृषि तकनीकी हर समय कृषकों को उपलब्ध।

02- मौसम, वर्षा, तापमान एवं प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान।

03- फसल प्रबंधन तकनीकी तथा भूमि एवं जल प्रबंधन व संवर्धन के संबंध में जानकारी।

04- कृषि आदान जैसे-उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण दवायें, जैविक उत्पाद आदि की उपलब्धता एवं उनके दरों की जानकारी।

05- फसलो में कीट-व्याधि की पहचान, प्रकोप एवं उनके सामयिक उपचार के संबंध में जानकारी।

06- विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कृषि गतिविधियों की जानकारी।

07- कृषि अधिकारीयों/कर्मचारियों एवं वैज्ञानिकों से सजीव परिचर्चा तथा सलाह से समाधान के अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं का वेब पोर्टल पर समाधान।

08- कृषि कैलेण्डर एवं कृषि संबंधी समाचार।

09- कृषि उत्पाद की दिन-प्रतिदिन की दरें, बाजार/मण्डी भाव आदि की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना।

10- सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराना।

11- कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में समय-समय पर कृषको को एस.एम.एस. माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है।

12- जिले में एस.एम.एस. के माध्यम से समय-समय पर कृषकों को कृषि संबंधी सलाह प्रदान की जाती है।